न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र स्थानान्तररण **मुकदमा संख्या 43/2022** **उदयसिंह बनाम गोपाल व अन्य**	
09.06.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सी. एल. मीना उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई की तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशीयां दी जा रही है। प्रार्थी वादीगण ने प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे हुये देखा है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण से मिलकर प्रकरण को खारिज करने व मिन प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा को खारिज करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावे। राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली वर्तमान में 7/11 के जवाब पर एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित है। वादीगण द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप निराधार है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई से प्राप्त टिप्पणी में अंकितानुसार विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 3 भोली देवी पत्नि गेन्दाराम मीना के पुत्र बाबूलाल पुत्र श्री गेन्दाराम मीना निवासी मेडी का बास तहसील बसवा जिला दौसा हाल निवासी बांदीकुई द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी भोली देवी फौत हो चुकी है। पत्रावली स्थानान्तरित की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण उनवानी हंसराज आदि बनाम गोपाल आदि दावा मुकदमा नम्बर 151/21 व टी. आई. नं. 124/21 से सम्बन्धित पत्रावली को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली अविलम्ब न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में भिजवाई जावे। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक बांदीकुई एवं उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 09.6.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेश कुमार) अति. जिला कलक्टर दौसा (राज.)	Decision copy 754-755 16-6-23

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official